

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216574
CG-DL-E-06032020-216574

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879]
No. 879]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
(राजस्व आसूचना निदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

सं. 19/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 983(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा-अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्द्वारा उपर्युक्त

तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका				
क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. पनोली इंटर्मीडियटस (इंडिया) प्रा. लि., 105, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066 मुख्य व्यवसायिक कार्यालय “सारा निवास”, 20-21, हरिनगर कोओपरेटिव- सोसाइटी, गोत्री रोड, बडोदरा-390007 और 6 अन्य.	फ़ा सं .DRI/AZU/ GRU-26/Panoli (Int-26)/2015/ 2019 दिनांक 22.01.2020.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.
2.	मै. आनंद सिने सर्विस, सं. 3, सारंगापाणि स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017 और	फ़ा सं S/40-EPCG- 398/2008/ VIIG ACC दिनांक 10.10.2019.	संयुक्तअपर/ आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	संयुक्तअपर / आयुक्तसीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी
3.	श्री ए. मनोहर प्रसाद, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मै आनंद सिने सर्विस, सं .3, सारंगापाणि स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017.	फ़ा सं S.Misc.49/ 2019-EODC (ACC) दिनांक 30.12.2019, दिनांक 23.01.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्तअपर/ आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-VII), न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	(पूर्व), मुंबई (तालिका के क्रम सं 2 से 4 के लिए)
4.		फ़ा सं S.Misc.60/ 2019-EPCG- EODC दिनांक 27.12.2019	संयुक्तअपर/ आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.	

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2020]

पारस मल सांखला, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
 (CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
 (DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2020

No. 19/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 983(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show-cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Noticee (s) and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Panoli Intermediates (India) Pvt. Ltd., 105, Mohata Building, 4, Bhikaji Cama Palace, New Delhi-110066 Corporate Office: “Sara Niwas”, 20-21, Harinagar Co-Operative Society, Gotri Road, Vadodara-390007 and 6 others.	F. No. DRI/AZU/GRU-26/Panoli (Int-26)/2015/ 2019 dated 22.01.2020.	Principal Commissioner of Customs, Custom House, Ahmedabad. Principal Commissioner of Customs, Custom House, Kandla.	Principal Commissioner of Customs, Custom House, Kandla.
2.	M/s. Anand Cine Service, No. 3, Sarangapani Street, T. Nagar, Chennai-600017	F. No. S/40-EPCG-398/2008/ VIIG ACC dated 10.10.2019.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Exports), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Exports), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai (For Sl. No. 2 to 4 of the Table).
3.	and Sh. A Manohar Prasad, Authorised Signatory, M/s. Anand Cine Service,	F. No. S.Misc.49/2019-EODC (ACC) dated 30.12.2019 read with corrigendum dated 23.01.2020.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-VII), New Custom House, Meenambakkam, Chennai.	
4.	No. 3, Sarangapani Street, T. Nagar, Chennai-600017.	F. No. S.Misc.60/2019-EPCG-EODC dated 27.12.2019	Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai.	

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2020]
 PARAS MAL SANKHLA, Jt. Director